



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928



संख्या- 1444-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/18-108-पेंशन-31/90(VolI-III), दिनांक 10 दिसम्बर, 2018

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिलो एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानपुर के पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित /स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02% की दर से दिये जाने की स्वीकृति वित्त (सामाच्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-26/2018/सा-3-937/दस-2018-301/2000टीसी, दिनांक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 07% से बढ़कर 09% हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिलो एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र०सं०	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
1	01 जुलाई, 2018	02 प्रतिशत	09 प्रतिशत

2— मँहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3— दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

4— पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय संख्या-1054-डब्लूसी०/रा०वि०प० (औ०सं०/उन्नीस)-14(23)एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा) /उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

5— महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या- १४४४(१)पै०एण्डआर०-२८/ पाकालि / १८, तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केरको-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-४०७, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,


(सैय्यद आरिफ हैदर)
अनु सचिव (पै०एवंआर०)
२०११
१०/१२/२०१०